स्वातंत्र्योत्तर भारत में स्त्री–चेतना का समीक्षात्मक अध्ययन

बेबी कुमारी*

वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण का विषय स्वयं में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उनमें चेतना का उद्‌भव नितांत आवश्यक है। यदि इस विषय पर ऐतिहासिक रुप से नजर डाला जाय तो सभ्यता के विकास में स्त्री–चेतना का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि प्राचीन भारत में वैदिककालीन महिलाओं के चेतनाओं का अवलोकन किया जाय तो समकालीन समाज में पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने, धार्मिक कार्यों को सम्पन्न करने, राजनैतिक भागीदारी तथा आर्थिक क्रियाकलाप में सहयोग करने के साथ ही सम्पति में उत्तराधिकार जैसे लगभग सभी अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को अपने जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता तथा अपनी इच्छा से अविवाहित रहने का सामाजिक अधिकार भी महिलाओं के जागरूक चेतना का प्रदर्शन करता है परन्तु जैसे–जैसे हमारा सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन सशक्त होते गया वैसे–वैसे पर्दा–प्रथा, रीति–रिवाज, पर्दा प्रथा तथा मर्यादाओं के आड़ में महिलाओं को घर के चहारदीवारी तक सीमित कर दिया गया।[1] अतः 21वीं सदी के दहलीज पर चलते हुए हमें स्त्री–चेतना पर चिंतन की नितान्त आवश्यकता महसूस हो रही है।

भारतवर्ष में अंग्रेजी शासनकालीन स्त्री–चेतना को गति प्रदान करने के लिए एक सुनियोजित सामाजिक सुधारात्मक आन्दोलन के तहत पर्दा–प्रथा, सती–प्रथा, बाल–विवाह जैसे कुरीतियों को समाप्त करने की पहल शुरू हुई। परिणामतः 1829 ई0 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम एवं 1856 ई0 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बने। महात्मा गांधी ने अपने विचार–दर्शन में लिंग के समानता पर बल दिया है। गांधी जी सशक्त महिला समाज के साथ 'खुशहाल समाज' की परिकल्पना करते हैं।[2] महात्मा गांधी के विचारानुसार महिलाओं के दयनीय स्थिति के लिए पुरुषों की स्वार्थी क्षमता तथा पुरुष प्रधान सामाजिक वातावरण जिम्मेवार है। गांधी जी ने लिखा ''नारी चेतना के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है। मेरे विचार में लड़का और लड़की सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। स्त्रियों में जैसे–जैसे शिक्षा का विकास होगा, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जायेंगी और समाज में असमानता दूर करने का प्रयास करेंगी।''[3]

***शोधार्थी, इतिहास विभाग जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)**

1920 ई0 से 1947 ई0 के बीच देश में अनेक महिला संस्थाओं ने स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। देश के विभिन्न भागों में आर्य महिला समाज, सेवा सदन तथा विधवा–आश्रम पहले से ही काम कर रहे थे।[4] 1947 ई0 तक इसकी संख्या लगभग 200 तक पहुंच चुकी थीं। कुछ अखिल भारतीय महिला संस्थाएं भी काम करना शुरू कर दिए जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया ऑल इंडिया वीमेन कांफ्रेंस, द यंग वीमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन तथा फेडरेशन ऑफ युनिवर्सिटी वीमेन इसमें प्रमुख थे।[5] इन संस्थाओं का उद्देश्य महिलाओं के चेतना में गति प्रदान कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने महिलाओं के चेतना के विकास उनके स्थिति सुधार हेतु, उनके समग्र एवं संतुलित विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनेक विधायी उपाय, कल्याणकारी योजनाएं तथा विकास कार्यक्रमों को मूर्त रुप प्रदान किया।[6] सन् 1975 ई0 को 'अंन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष' के रुप में मनाया गया।[7] राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से देश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को 33 प्रतिशत आरक्षित कर दिया गया।[8] महिलाओं के ऐसे विकास की गति प्रदान करने के कड़ी में बिहार सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओ के प्रतिनिधित्व हेतु 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रखा है। भारत सरकार की 'महिला स्वयं सिद्धा योजना', 'महिला डेयरी योजना', 'जननी सुरक्षा योजना' तथा 'स्वशक्ति परियोजना' जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का एकमात्र उद्देश्य स्त्री–चेतना को जागरूक कर उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है।[9] अप्रैल 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत की गई जिसमें महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण प्रदान की गई। वर्ष 1992 ई0 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन एक संवैधानिक निकाय के रुप में किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के चेतना को जागरूक करने तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु अनेक प्रयास सरकारी स्तरों के साथ–साथ स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भी किया गया। अशिक्षा के कारण चेतना अपने विकसित रुप को धारण नहीं करती है। अतः भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री–शिक्षा पर भी बल दिया गया। महिला साक्षरता में बढ़ोतरी हेतु अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा सहयोग योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तुरबा गांधी शिक्षा परियोजना जैसे अनेक कार्यक्रमों

का प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है।[10] इन कार्यक्रमों के कारण महिला साक्षरता में अप्रत्याशित परिवर्तन आया है।

विभिन्न कार्यक्रमों तथा अध्ययनों के परिणामस्वरुप यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि प्रशासनिक ढिलाई समाज का उचित सम्मान तथा अशिक्षा के कारण महिलाओं के चेतना में यथोचित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। यह विदित है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश की खुशहाली एवं समृद्धि का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है। सरकार के निरन्तर प्रयास के बावजूद आंकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि ग्रामीण गरीब महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता एवं समानता की दृष्टिकोण से पिछड़ी हैं तो दूसरी ओर हमें यह भी ज्ञात है कि ऐसे बुनियादी आवश्यकताओं का चेतना के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है।[11] आज भी महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार एवं शोषण की लकीरें साफ दिखाई देती हैं।

महिलाओं के चेतना के क्षेत्र में यह साकारात्मक पक्ष है कि वर्तमान परिवेश में शैक्षिक विकास के कारण ही महिलाओं की स्थिति में उतरोत्तर विकास हो रहा है, जीवन के समस्त क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। शैक्षिक जागरूकता ने महिलाओं के विधिक संरक्षण को बढ़ावा दिया है।[12] इस शैक्षिक जागरूकता के वजह से ही समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ रहा है। यह स्वीकार कर लिया गया है कि सशक्त होने पर ही महिलाएं अपने कल्याण के लिए प्रयासरत होंगी। यह मान्यता सत्य है कि एक पुरूष के शिक्षित होने से मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है जबकि एक महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होगा अर्थात् सम्पूर्ण परिवार में चेतना का नव प्रसार होगा।

अंततः स्पष्ट है कि सभ्यता के विकास में महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है। यद्यपि प्राचीन काल से वर्तमान तक महिलाएं पुरूषों की सहसमभागी बनकर समाज के आदर्श प्रारुप को सशक्त बनाया है तथापि महिलाओं के चेतना के विकास के लिए उन्हें यथोचित अवसरों का प्राप्त होना भी आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार के साथ–साथ स्वयंसेवी संगठनों के अथक् प्रयासों के बदौलत आज समाज में महिलाओं की दशा एवं दिशा बदलती नजर आ रही है, उनके चेतना में उत्तरोतर विकास दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परिणामतः महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अतः ऐसी चेतना हमारे समाज की आधारशिला है जिसको मजबूती प्रदान करना हम सबका दायित्व है।

संदर्भ संकेत –

1. सुषमा शर्मा : भारतीय महिला : दशा एवं दिशा, शताब्दी प्रकाशन, पटना, पृ0 27

2. वही, पृ0 34
3. यंग इंडिया : महात्मा गांधी, 06 अक्टुबर 1921 ई0
4. मधुसूदन त्रिपाठी : महिला विकास एवं मूल्यांकन, ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 53
5. वही
6. विपिन चन्द्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी : आजादी के बाद भारत (1947–2000) हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, पृ0 43
7. वही, पृ0 46
8. रिचा भुनेश्वरी : महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं, रितु पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0 72
9. वही, पृ0 73
10. वही, पृ0 76
11. एन0एन0 ओझा : भारत की सामाजिक समस्याएं, क्रॉनिकल पब्लिकेशन प्रा0 लि0, 2008, पृ0 17
12. वही, पृ0 29

****